रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265094
CG-DL-E-30072025-265094

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3436] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 29 2025/श्रावण 7, 1947
No. 3436] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 29, 2025/SHRAVANA 7, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ. 3519(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 3 जून 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्यांक 2471 (अ.), तारीख 3 जून 2025 के प्रकाशन पर उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि और ऐसी भूमि, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है), में के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जिला नागपुर, महाराष्ट्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए सहमत है ।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (।) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है, कि इस प्रकार निहित 0.16 हेक्टर (लगभग) या 0.395 एकड (लगभग) माप वाली उक्त भूमि और उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 3 जून 2025 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने रहने के

बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाऐंगे, अर्थात: -

1. सरकारी कंपनी, उक्त अधिनियम और अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, क्षतियों आदि और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी;
2. उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा, शर्त (1) के अधीन सरकारी कंपनी द्वारा संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, और ऐसे किसी अधिकरण और उक्त अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे, और इसी प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी विधिक कार्यवाहियों जैसे अपील आदि की बाबत उपगत, सभी व्यय भी, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे;
3. सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार और उसके पदाधिकारियो को, ऐसे किसी अन्य व्यय के प्रति क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदाधिकारियो द्वारा या उनके विरूद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो;
4. सरकारी कंपनी को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि और उसके अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण करने की शक्ति नहीं होगी; और
5. सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं।

[फा. सं. 43015/9/2024-एलएआईआर]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3519(E).—Whereas, on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 2471 (E), dated the 3rd June 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 3rd June 2025, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land and all rights in or over the land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the Western Coalfields Limited, District Nagpur, Maharashtra (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the said land measuring 0.16 hectares (approximately) or 0.395 acres (approximately) and all rights in or over the said land so vested, shall with effect from 3rd June, 2025 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely: –

1. The Government company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws;
2. A Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the Government company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc. for or in connection with the rights, in or over the said land, so vested, shall also be borne by the Government company;

3. The Government company shall indemnify the Central Government and its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials regarding the rights in or over the said land so vested;

4. The Government company shall have no power to transfer the said land and rights to any other persons without the prior approval of the Central Government; and

5. The Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said land, as and when necessary.

[F. No. 43015/9/2024-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.30 15:19:19 +05'30'